भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 15

02 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

चावल को अधिक पोषक तत्व युक्त बनाना और पीडीएस के अंतर्गत इसका वितरण

***15 श्री कृपानाथ मल्लाहः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में चावल को अधिक पोषक तत्व युक्त बनाना और "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसका वितरण" संबंधी चलाई जा रही प्रायोगिक योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान असम में इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत, आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस संबंध में निर्धारित किए गये लक्ष्यों तथा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) असम में इस योजना के अंतर्गत अब तक सम्मिलित किये गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का इस योजना में असम के कुछ और जिलों को सम्मिलित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित विवरण।

(क): देश में अल्प-रक्तता और माइक्रो-न्यूट्रीएंट की कमी का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 174.64 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2019-20 में आरम्भ करके तीन वर्ष की अवधि के लिए "चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इसका वितरण" संबंधी केंद्रीय रूप से प्रायोजित पायलट स्कीम अनुमोदित की थी। पायलट स्कीम का उद्देश्य 15 राज्यों में 15 जिलों, अधिमानत: एक जिला प्रति राज्य, पर ध्यान केंद्रित करना है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीप-समूह राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में और शेष राज्यों के संबंध में 75:25 के अनुपात में वित्त-पोषित की जाती है।

पायलट स्कीम के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न हैं:

- स्कीम के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में देश में 15 जिलों-अधिमानत: एक जिला प्रति राज्य की जरूरत पूरी करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण करना।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कवरेज, चुनिन्दा जिलों में फोर्टिफाइड चावल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थी।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच आपस में सीखने और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने की सुविधा।

- प्रावधान, कवरेज और लक्षित आबादी द्वारा फोर्टिफाइड चावल का उपयोग करने तथा विभिन्न आयु और लिंग समूहों में लक्षित माइक्रो-न्यूट्रीएंट की कमी में गिरावट लाने में फोर्टिफाइड चावल की खपत की कुशलता/प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना।

15 राज्य सरकारों अर्थात आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश ने पायलट स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सहमति दे दी है और अपने-अपने जिलों (एक जिला प्रति राज्य) की पहचान की है।

(ख): पहाड़ी राज्य होने के कारण असम के लिए जारी की जा सकने वाली लगभग 3.40 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि में फोर्टिफिकेशन की बढ़ी हुई लागत, एसपीएमयू की स्थापना आदि शामिल होते हैं। चूंकि असम की राज्य सरकार ने इस स्कीम के अधीन फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू नहीं किया है, इसलिए पिछले एक वर्ष के दौरान असम हेतु इस स्कीम के अधीन कोई निधि जारी नहीं की गई है।

.....2/-

(ग): पायलट स्कीम के अधीन पहचान किए गए 15 जिलों (एक जिला प्रति राज्य) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का लक्ष्य है। अब तक 6 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने अपने चुनिन्दा जिलों में इस स्कीम के अधीन कुल लगभग 80719 टन (31 दिसम्बर, 2020 तक) फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया है।

(घ): असम सरकार ने इस स्कीम के अधीन फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने के लिए दिनांक 06 मई, 2019 के पत्र द्वारा बोंगईगांव जिले की पहचान की है। राज्य सरकार ने बाद में दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 के पत्र द्वारा पायलट स्कीम के क्रियान्वयन के लिए बोंगईगांव जिले के स्थान पर लक्षित जिले को बदलकर धुबरी कर दिया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ड.): जी नहीं।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

*****